क्रम-संख्या–1(घ–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 जनवरी, 2025

पौष 12, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2

संख्या 838544/आठ-2–2025-8–2099-103-2023

लखनऊ, 2 जनवरी, 2025

अधिसूचना

प0आ0–6

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन 1966) की धारा 31(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, शासनादेश संख्या–5030/37–2–86–163एच0बी0/82, दिनांक 20 दिसम्बर, 1985 द्वारा इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–6, बरेली के क्रियान्वयन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी। तदनुक्रम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 32 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 1986, उत्तर प्रदेश गजट के भाग–8 में दिनांक 20 सितम्बर, 1986 को प्रकाशित करायी गयी।

2–उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–6, बरेली के क्रियान्वयन हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा योजना चलाया जाना व्यवहारिक नहीं पाया गया। अतएव परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त आवास अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 1919/9–आ–2–2001, दिनांक 14 सितम्बर, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, उक्त योजना को परित्याग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22934/2016 में सुनवाई दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः –

.....We only wish to make legal position clear that while the High court may be right in finding that upon exercise of power under section 49 of the 1965 Act, it will only unsettle or modify the scheme and it would not have the effect of withdrawal of the Government from the acquisition, the said power is available to the Government under Section 55 of the 1965 Act read with Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894, as per law.

4–अतएव, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पत्र संख्या–97/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/125, दिनांक 2 नवम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–6, बरेली को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन, 1966) की धारा 49 के अधीन निर्गत पूर्व अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को न्यायिक बिन्दु के आलोक में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए इसी अधिनियम की धारा 55, सपठित भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 (यथा संशोधित) की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति को प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदया उपरोक्त योजना में सन्निहित भूमि के अर्जन से प्रत्याहृत होने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

———

No. 838544/VIII-2-2025-8-2099-103–2023

Dated Lucknow, January 2, 2025

IN exercise of powers conferred under Section- 31(2) of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (Uttar Pradesh Act no. 1 of 1966), the State Government had approved the implementation of Izzatnagar Bhoomi Vikas and Grihsthan Yojana no.-6, Bareilly by Government Order no. 5030/37-2-86-163HB/82, dated December 20, 1985. Accordingly, Uttar Pradesh Housing and Development Board published the notification dated March 12, 1986 in Part-8 of Uttar Pradesh *Gazette* dated September 20, 1986 under Section-32(1) of the said Act.

2. It was not found feasible for the Uttar Pradesh Housing and Development Board to run the scheme on the land to be acquired for the implementation of Izzatnagar Land Development and Housing Scheme no. 6, Bareilly notified by the above-mentioned notification. Therefore, after due consideration of the proposal provided by the Board, exercising the powers under sub-section (1) of Section 49 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, approval was granted to abandon the said scheme *vide* Housing Section 2 of Uttar Pradesh Government's notification no. 1919/9-A-2-2001, dated September 14, 2001.

3. Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad filed Special Leave Petition no. 22934/2016 in the Hon'ble Supreme Court. The operative part of the order passed on August 26, 2021 in the hearing is as follows:-

.....We only wish to make legal position clear that while the High court may be right in finding that upon exercise of power under Section 49 of the 1965 Act, it will only unsettle or modify the scheme and it would not have the effect of withdrawal of the Government from the acquisition, the said power is available to the Government under Section 55 of the 1965 Act read with Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894, as per law.

4. Therefore, after due consideration of the proposal of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad made available by the letter number 97/LAC/HQ/125, dated November 2, 2023, the earlier notification dated September 14, 2001 issued under Section 49 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (Uttar Pradesh Act no. 1 of 1966) for Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, Izzatnagar Bhoomi Vikas and Grihasthan Yojana no. 6, Bareilly, in exercise of power under Section 55 of the same Adhiniyam, *read* with sub-section (1) of Section-48 of the Land Acquisition Act, 1894 (as amended) in the light of judicial point, partially amending it. The Governor grants approval for withdrawal from acquisition of the land involved in the above scheme.

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 455 राजपत्र–2025–(1204)–599 प्रतियां (डी0टी०पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 15 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2025–(1205)–100 प्रतियां (डी0टी०पी0/ऑफसेट)।